जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 08.11.2024

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,अपहृता बरामद

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** मु0अ0स0 256/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता सिकन्दर पुत्र हरिराम निवासी पिपरा प्रथम थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को मंझरिया पठान चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.10.2024 को वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 06.11.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 08.11.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रविन्द्रनाथ शर्मा, म0का0 कोमल देवी, का0 गोपाल ठाकुर, का0 रोहित।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 150 वाहनों से 1,79,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 150 वाहनों से 1,79,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 05 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 08.11.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 05 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 05 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 08.11.2024 को ***न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1410/2016 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता मो0 अरशद उर्फ अहमद पुत्र अजमेरी निवासी सहगौरा इल्फातगंज थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकरनगर को दोषसिद्धि के आधार पर अन्तर्गत धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध के लिए 07 वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 05 दिवस का कारवास में बिताना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जायेगा। अभि0 मो0 अरशद उर्फ अहमद को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जाये।